महिला सशक्तिकरण और नौकरीपेशा महिलाओं की स्थिति

डॉ.हरिचरण मीना

व्याख्याता समाजशास्त्र विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाईमाधोपुर

शोध सारांश

महिलाओं के लिए विकास और सशक्ति दोनों ही बेहद जरूरी है। सशक्तिकरण ही वह माध्यम है, जिससे महिलाओं को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। उन्हें वे साधन उपलब्ध करवाये जा सकते हैं, जिससे यह आवा दनिया उन्नति कर सकती है। इस दष्टि से महिलाओं में शिक्षा व जागरूकता की नितान्त आवश्यकता है। केवल यही वे साधन हैं जिससे माहला.श सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

भारतीय समाज में अनेकों ऐसी परम्पराएँ हैं जो महिलाआ को पुरूषों से हीन व दोयम दर्जे का प्राणी मानती हैं, इसलिए ऐसे काननू बनाये गये जिससे महिलाओं को संरक्षण दिया जा सके उन्हें आगे बढ़ने के मौके दिये जा सकें, समय–समय पर आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन । जैसे 'हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005' सम्मपूर्ण भारत में लागू किया गया, जिसके माता–पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को भी पुत्रों के समान ही सम्पति का अधिकार दिया गया है।

मुख्य शब्द – महिला सशक्तिकरण, जागरूकता, आर्थिक विकास, स्वतंत्रता आन्दोलन, व्यवसायों में सहभागिता, पारिवारिक दायित्व,सरकारी नीतियां, कामकाजी महिलाएं।

उद्देश्य – नौकरीपेशा महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करना।

प्रस्तावना

आर्थिक विकास के बिना बाकी सभी विकास नगण्य से प्रतीत होते हैं और आर्थिक विकास हेतु शिक्षा बेहद आवश्यक है, इसलिए हमारे यहां 12वीं तक की शिक्षा बालिकाओं के लिए मुफ्त है। गरीब, दलित व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था है ताकि शिक्षा में किसी तरह का व्यवधान ना हो, वे समर्थ होकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। शिक्षा साध्य व वांछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का साधन दोनों ही है। शिक्षा से बुद्धि का विकास, व्यक्तित्व निर्माण व सांस्कृतिक समझ विकसित होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है, समाज में गतिशीलता आती है। यह ऐसा सशक्त उपकरण है जो नवीन सामाजिक व्यवस्था का सृजन संचालन करने के लिए महिलाओं को सक्षम बनाता है। हमारे वेदों में महिला शिक्षा का विशद् वर्णन है। वैदिककाल में महिलायें समाज में विशेष स्थान पर प्रतिष्ठित थीं, उनकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था भी ऋग्वेद के अनुसार थी। महिलाओं पर ही जीवन आधारित है और वे ही समाज के अन्य वर्गों को शिक्षा प्रदान करती है व समाज की महत्त्वपूर्ण संरचना इकाई परिवार की धुरी होती है।

ब्रिटिशकाल के दौरान भी महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सेवायोजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने महिला शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया जिसके फलस्वरूप 1913 में शिक्षा नीति का

सरकारी प्रस्ताव आया। सन् 1916 में मुम्बई में देश के पहले महिला विश्विद्यालय (वर्तमान में नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय) की स्थापना हुई। इस काल में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा में वृद्धि हुई।

महात्मा गाँधी द्वारा संचालित स्वतंत्रता आन्दोलन में लड़कियों को लड़कों के समान ही समझने की भावना का विकास हुआ और आजादी के बाद महिला शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ। महिला शिक्षा के प्रति लोगों का व्यवहार व दृष्टिकोण दोनों बदल रहे हैं, इससे जीवन की आम समस्याओं के निराकरण व आर्थिक स्वावलम्बन मानकर लड़कियों को भी उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है और आज विवाह हेतु जीवन–साथी के चयन में 'कामकाजी वधू' को प्राथमिकता दी जाती है ताकि वह परिवार को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सकें, पारिवारिक सदस्यों व बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकें। कामकाजी महिलाओं/नौकरीपेशा महिलाओं को विकास का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि "कोई भी समाज जितना सुसभ्य व सुसंस्कृत होगा, महिलाओं की स्थिति वहाँ उतनी ही श्रेष्ठ होगी।'

वर्तमान में महिलाओं ने घर की चारदिवारी लाँघकर पुरुषों के साथ अनेकों व्यवसायों में सहभागिता कर ली है और अपने कैरियर व पदोन्नति के लिए प्रयत्नशील भी है। परम्परागत भारतीय समाज में पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करने वाली महिलाएँ को ही आदर्श माना जाता था, यदि वह बच्चों की उपेक्षा कर घर से बाहर कार्य करती थी तो उसे अच्छा नहीं माना जाता था। वर्तमान में महिलायें घर से बाहर जाकर आर्थिक कार्य तो करने लगी हैं, परन्तु परिवार में पूर्व आदर्श भूमिकाओं में बदलाव ना आने के कारण उन्हें दोहरी भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ रहा है। परिवार व पेशे के बीच तालमेल बैठाने में (क्योंकि दोनों की माँगें सर्वथा भिन्न होती है) काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी कार्य करने की क्षमता, उपयोगिता, महत्त्व को भी सभी ने स्वीकार किया है, परन्तु इन महिलाओं को जिस पारिवारिक सहारे की जरूरत होती है, उससे अधिकतर महिलाओं को वंचित कर दिया जाता है। शिक्षा, नौकरी, शहरीकरण के कारण महिलायें संयुक्त परिवार को छोड़कर एकाकी परिवारों में रहने लगी है तब उन्हें प्रतिदिन ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी देखभाल व ऑफिस (कार्यस्थल) जाने के दौरान, पालन व पोषण, देखभाल की समस्या प्रमुखता से उभर कर आती है। छोटे कस्बों में जहाँ क्रेच (शिशुपालना घर) नहीं है, 'मेड' (बच्चों व घर की देखभाल करने वाली) आसानी से उपलब्ध नहीं होती वहाँ यह समस्या विकराल रूप कर लेती है। उस समय इन महिलाओं की मानसिक परेशानी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, उन्हें बार–बार दोनों भूमिकाओं को निभाने में द्वन्द्व का सामना करना पड़ता है। घरेलू कार्य, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाये रखना व कार्यस्थल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की भी अपेक्षा की जाती है। यह स्थिति किसी त्रासदी से कम नहीं है। घर और नौकरी की अलग–अलग माँगें जो अक्सर एक–दूसरे के विपरीत ही होती हैं, निभाने के दौरान या तो महिला को परम्परागत आदर्श महिला की छवि से अलग कर दिया जाता ह या फिर कार्यस्थल पर उत्कृ ष्ट प्रदर्शन ना कर पाने के कारण क्षमता से हीन मान लिया जाता है जबकि महिलायें परिवार के बेहतर भविष्य हेतु ही बाहर जाकर कार्य करना स्वीकार करती हैं और कार्यस्थल पर भी वह अपने पुरूष सहकर्मियों के समान ही बेहतर कार्य प्रदर्शन कर सकती हैं, परन्तु इस समय उसकी क्षमताओं, इच्छा शक्ति, प्रदर्शन का परिवार व ऑफिस के मध्य विभाजन हो जाता है। भूमिका संघर्ष की स्थिति उभरकर आती है। विवाहित कामकाजी महिलाओं की समस्याओं की बात करें तो एक सर्वे के अनुसार मात्र 40 प्रतिशत महिलायें ही अपनी इच्छा से कार्यशील होती हैं, लगभग 25 प्रतिशत को किसी आर्थिक मजबूरी के चलते काम करना पड़ता है तो 25 फीसदी महिलायें अपने पति की इच्छा के कारण ऐसा करती है।

यदि महिलायें अपने करियर पदोन्नति के प्रति अधिक सशक्त है और उन्हें परिवार का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है, वहाँ पारिवारिक संघर्ष भी बढ़ता है। जैसे–जैसे महिलाओं में समानता की भावना आती जाती है वैसे–वैसे ही पारिवारिक सम्बन्धों तथा व्यवस्था व भूमिका निर्वाह में संघर्ष की स्थिति भी बढ़ती जा रही है। जिन परिवारों में पुरुष महिलाओं को काम करने के लिये प्रोत्साहन, समर्थन व वांछित सहयोग देते हैं, वहाँ संघर्ष की मात्रा कम है। महिलाओं की दोहरी भूमिका निर्वाह क्षमता पर डॉ. हरीदास रामजी शैण्डे सुदर्शन कहते हैं, ''दोहरी जिन्दगी जीते हुए नारी कभी–कभी खुद को असहाय एवं उपेक्षित पाती है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं की उसने कहीं हार स्वीकार कर ली है, वह निरन्तर परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करती हुई प्रगति पथ में अपने झंडे गाड़ रही है।''

सरकारी नीति के अनुसार यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो जहाँ तक सम्भव हो सकें दोनों को एक ही शहर में नियुक्ति दी जाय। परन्तु समस्या निजी क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं की है। पति का स्थानान्तरण होने पर पत्नी को अपनी नौकरी छोड़नी ही पड़ती है। उनसे आशा भी यही की जाती है और महिलायें भी पारिवारिक कलह से बचने के लिए यह समझौता चुपचाप सहन कर लेती है। मानव विकास मंत्रालय के अनुसार 10 फीसदी महिलायें तो मात्र स्थानान्तरण से बचने के लिये ही पदोन्नती स्वीकार नहीं करती है। अस्मित नामक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन का शोध बताता है कि उच्च परिवारों की अतिशिक्षित लगभग 13 प्रतिशत महिलायें पति द्वारा हाथापाई का शिकार होती हैं। यदि महिला उच्च पदस्थ है तथा उसका वेतन पति के वेतन से अधिक है तो पति हीनता की भावना से ग्रसित हो जाता है, अपनी कुंठा वह पत्नी को अन्य व्यक्तियों के समक्ष (पारिवारिक सदस्यों, मित्रों या उनके अलावा अन्य भी) नीचा दिखाने का प्रयास करता है, अशोभनीय व्यवहार कर अपने आपको श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता है। पुरुष की इस दिवालिया मानसिकता के कारण दाम्पत्य सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न होता है, जो कभी–कभी तलाक तक का कारण बन जाता है और यदि महिला पुरुष की इस झूठी अहंवादी सोच से समझौता करती है तो उसे प्रतिदिन नई–नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

प्रख्यात कथा लेखिका मंजु भण्डारी के अनुसार, शिक्षा आर्थिक स्वतंत्रता अपनी अस्मिता की पहचान, बड़े–बड़े पदों पर काम करने से उपजे आत्मविश्वास ने एक बिल्कुल नई स्त्री को जन्म दिया है। उनकी अपेक्षा पुरुषों में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। रात–दिन आधुनिकता का दंभ भरने वाले, बडे–बड़े भाषण फटकारने वाले, लेखों का अंबार लगा देने की वांछित तथा आधुनिक पुरुषों की चमड़ी की बस एक परत उतारिए कि आप पायेंगे वह सामंती संस्कारों वाला पति जो स्त्री पर शासन करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का एक अध्ययन बताता है कि शिक्षित आधुनिक कामकाजी महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक शोषण का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकडे भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। निम्न वर्ग की कामकाजी महिलाओं की स्थिति तो और भी बदतर है। योजना आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, "निम्न वर्ग की ये महिलायें अल्पशिक्षित होती हैं और कार्य करना इनकी आर्थिक मजबूरी है। इन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। समान कार्य के बदले समान वेतन हमारा मौलिक अधिकार होने के बावजूद इन्हें दोयम दर्जे का व्यवहार सहन करना पड़ता है। वे भेदभाव का शिकार होती हैं। राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की मजदूरी, पुरुषों की औसत मजदूरी की लगभग 80 प्रतिशत होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक महिलाओं को पुरुष श्रमिकों के मुकाबले मात्र 60 फीसदी पगार ही मिलती है।

कार्यस्थलों पर होने वाले महिलाओं के यौन शोषण के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1999 में ही दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। निदेशा का पालन किस तरह हो रहा है, अखबारों में हम आये दिन पढ़ सकते है। जब देश की राजधानी में महिलायें सरक्षित नहीं हैं तो दूर–दराज के. व्यवसायिक स्थलों/कार्यालयों में महिलाओं की सुरक्षा की बात बेमानी–सी लगती है। अवाग (अहमदाबाद मेंस एक्शन ग्रुप) नामक एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था द्वारा सन् 2004 में किये गये सर्वे ने भी इसी धारणा को पुष्ट किया है कि आज भी कार्यस्थलों पर महिलाओं का अपने ही सहकर्मी द्वारा शोषण जाता है।

महिलाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जो यह दर्शाता कि वे कितनी विपरीत परिस्थितिया में जीवनयापन कर रही हैं, आत्म हत्या करने वाली महिलायें समाज के सभी वर्गों से हैं जो दर्शाता है कि असन्तोष प्रत्येक स्तर पर है।

किसी भी राष्ट्र के निर्माण व विकास की प्रगति में महिलाअसें का योगदान महत्त्वपूर्ण है। आधी आबादी की उपेक्षा करके राष्ट्र के नवनिर्माण की कल्पना करना व्यर्थ ही प्रतीत होती है। यह तभी संभव हो सकता जब महिलाओं को सम्मान व शिक्षा प्रदान की जाए, उनकी शक्ति को राष्ट्र के लाभ हेतु और स्वयं स्त्रियों का दर्जा ऊँचा उठाने के लिये प्रयोग में ली जाये। "राष्ट्र के रूप में हमारी क्षमता का उपयोग तभी हो सकता है जब महिलायें, जो हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, अपनी पूरी क्षमता का सदुपयोग कर सकें। एक रथ की भाँति पुरुष के ही समान महिला शक्ति का सदुपयोग हमें मजबूत बनाता है।''

मार्क्स ने कहा है कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति से सामाजिक प्रगति को ठीक–ठाक मापा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों में महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज महिलायें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक दासता से निकलकर स्वतंत्र जीवन का विकास करने की सभी सुविधाएँ प्राप्त कर रही हैं।

''जीवन के सभी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती जा रही है। उच्च स्तर की प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में चिकित्सा एवं सलाहकार सेवाओं में उनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। उद्यमिता के क्षेत्र में स्त्रियों का सफलतापूर्वक प्रवेश करना सभी के लिये सुखद आश्चर्य है। आज स्त्रियाँ बड़े–बड़े उद्योगों का संचालन कर रही हैं।'' लेकिन ऐसी स्त्रियों का प्रतिशत बहुत कम है। रमणिका गुप्ता के अनुसार, ''गणनात्मक विकास में आज भी हमारे देश बहुत पीछे हैं, क्योंकि आबादी के अनुपात में लड़कियों की शिक्षा में देश पिछड़ा है।''

शहरों में भी कामकाजी महिलाओं की स्थिति व संख्या दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है। सभी शिक्षित महिलायें किसी न किसी रोजगार में लग रही हैं, जिसके कारण उनकी आर्थिक व सामाजिक प्रस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया है। वे अपने अधिकारों व सम्मान के प्रति जागरूक हुई हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग देने के कारण पत्नी ने सेविका के स्थान से सहयोगिनी व मित्र की स्थिति प्राप्त कर ली है। पुरुषों के रुख व सोच में भी अब सकारात्मक बदलाव आया है। वर्तमान समय में नौकरी पेशा/कामकाजी महिलाओं की दिक्कतों, समस्याओं को समझकर उन्हें सहयोग प्रदान करने व उनकी घरेलू जिम्मेदारियों को सीमित किये जाने की आवश्यकता है। अब बदलाव की बयार चलने लगी है, हालांकि उसकी गति अभी बहुत धीमी है।

संदर्भ सूची

1. डॉ. इन्दु शर्मा, डॉ. शिवाली अग्रवाल, "महिला सशक्तिकरण के नवीन आयाम (सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिप्रेक्ष्य में), राधा प्रकाशन 2011 प्रथम संस्करण, पृ.सं. 187, 188, 189
2. मीनाक्षी निशांत सिंह, "महिला सशक्तिकरण का अर्थश, ओमेगा प्रकाशन 2011, पृ. 20, 44, 48, 49, 51
3. स्वप्निल सारस्वत, "महिला विकास एवं परिदृश्यष, नमन प्रकाशन 2007, पृ.सं. 54, 55, 57, 58
4. हिन्दू नारी – कार्यशीलता के बदलते आयाम, अर्जुन प्रकाशन 2009
5. डा. मंजू जौहरी : आधी आबादी का यथार्थ : भारतीय नारी, राधा प्रकाशन 2010, पृ. 182, 183, 187,
6. दैनिक जागरण, 7 मार्च 2009 में दिये गये राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के वाक्यांश के अनुसार।
7. डॉ. हरिदास रामजी शैण्डे सुदर्शन नारी सशक्तिकरण, ग्रन्थ विकास, पृ. 44
8. लता शर्मा : औरत अपने लिए, सामयिक प्रकाशन, पृ. 24
9. मंजू भंडारी : औरत की कहानी, वसुन्धरा प्रकाशन, टिप्पणी पुस्तक कवर पर।
10. ए.के. सिंह, भारतीय नारी : वर्तमान समस्याएँ एवं भावी समाधान पृ. 32
11. रमणिका गुप्ता : कलम और कुदाल के बहाने, शिल्पाथन प्रकाशन, पृ. 9
12. जी.के. अग्रवाल : भारत में समाज, पृ. 123